



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09122025-268361
CG-DL-E-09122025-268361

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 798]
No. 798]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 9, 2025/अग्रहायण 18, 1947

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 9, 2025/AGRAHAYANA 18, 1947

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2025

फा. सं. एचक्यू-30011/5/2025-एयू-एचओ.—आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 54 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण एतद्वारा आधार (अधिप्रमाणन और ऑफलाइन सत्यापन) विनियम, 2021 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन विनियमों को आधार (अधिप्रमाणन और ऑफलाइन सत्यापन) संशोधन विनियम, 2025 कहा जाएगा।

(2)ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. आधार (अधिप्रमाणन और ऑफलाइन सत्यापन) विनियम, 2021 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात मूल विनियम कहा गया है) में, विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में,—

(क) निम्नलिखित खंड (कग) को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

(कग) "आधार एप्लिकेशन" से तात्पर्य प्राधिकरण द्वारा विकसित और प्रबंधित किसी भी आधिकारिक मोबाइल एप्लिकेशन या वेब एप्लिकेशन से है, जो आधार नंबर धारकों को ऑफलाइन सत्यापन करने सहित आधार से संबंधित सेवाओं के लिए एक इंटरफेस प्रदान करती है और इसमें 'एमआधार ऐप', 'आधार ऐप', 'आधार क्यूआर स्कैनर ऐप', 'मार्डिआधार पोर्टल' और ऐसे अन्य एप्लिकेशन शामिल हैं, जिन्हें समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किया जाता है;

(ख) निम्नलिखित खंड (खड़) को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

'(खड़) "आधार सत्यापन योग्य क्रेडेंशियल" से तात्पर्य प्राधिकरण द्वारा आधार नंबर धारक को जारी डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित एक दस्तावेज से है जिसमें आधार नंबर के अंतिम 4 अंक, जनसांख्यिकीय डेटा, जैसे, नाम, पता, लिंग, जन्मतिथि और आधार नंबर धारक की फोटो, तथा प्राधिकरण द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसी अन्य जानकारी जिसे जनसांख्यिकीय जानकारी या फोटो सत्यापन के लिए प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से आधार नंबर धारक द्वारा ऑफलाइन सत्यापन मांगकर्ता संस्था (ओवीएसई) को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से साझा किया जा सकता है;'

(ग) खंड (ठक) का लोप किया जाएगा।

(घ) निम्नलिखित खंड (णघ) को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

'(णघ) "ऑफलाइन चेहरा सत्यापन" से तात्पर्य ऑफलाइन सत्यापन की ऐसी विधि से है जिसमें आधार नंबर धारक के सजीव चेहरे की छवि को कैप्चर किया जाता है और उसकी शुद्धता या त्रुटि को आधार नंबर धारक के आधार एप्लिकेशन के साथ संग्रहीत आधार नंबर धारक की छवि से सत्यापित किया जाता है;'

3. मूल विनियमों में, विनियम 3क के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

"3क. ऑफलाइन सत्यापन के प्रकार.—(1) प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित प्रकार की ऑफलाइन सत्यापन सेवाएं प्रदान की जाएंगी, नामतः :—

- (i) क्यूआर कोड सत्यापन,
- (ii) आधार कागज रहित ऑफलाइन ई-केवाईसी सत्यापन,
- (ii)(क) आधार सत्यापन योग्य क्रेडेंशियल का सत्यापन,
- (iii) ई-आधार सत्यापन,
- (iv) ऑफलाइन कागज आधारित सत्यापन, और
- (v) प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर लागू किसी भी अन्य प्रकार का ऑफलाइन सत्यापन।

उपर्युक्त ऑफलाइन सत्यापन किसी संस्था द्वारा समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा दिए गए विनिर्देशों के अनुसार ऑफलाइन सत्यापन चेहरे के साथ या चेहरे के बिना किया जा सकता है।

(2) प्राधिकरण क्यूआर कोड को स्कैन करने और क्यूआर कोड या ई-आधार या आधार कागज रहित ऑफलाइन ई-केवाईसी या आधार सत्यापन योग्य क्रेडेंशियल को आधार एप्लिकेशन या अन्य माध्यमों से डाउनलोड करने के लिए विभिन्न साधन उपलब्ध कराएगा।"

4. मूल विनियमों में, अध्याय-III के शीर्षक को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

“अनुरोधकर्ता संस्थाओं तथा अधिप्रमाणन सेवा एजेंसियों की नियुक्ति एवं ऑफलाइन सत्यापन चाहने वाली संस्थाओं का पंजीकरण”

5. मूल विनियमों में, निम्नलिखित खंड 13क को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

“13क. ओवीएसई का पंजीकरण.- (1) आधार कागजरहित ऑफलाइन ई-केवाईसी सत्यापन या आधार ऐप्लिकेशन के जरिए आधार सत्यापन योग्य क्रेडेंशियल सत्यापन कराने की इच्छुक संस्था को पंजीकरण के लिए प्राधिकरण को ऐसे प्रपत्र में आवेदन करना होगा जिसे प्राधिकरण ऐसी संस्था के अनुरोध पर और ऐसे नियमों एवं शर्तों पर उपलब्ध करा सकता है जिन्हें प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है:

बशर्ते कि ऐसी संस्था ओवीएसई के रूप में पंजीकृत होने पर केवल वैध प्रयोजनों के लिए ऑफलाइन सत्यापन करेगी।

- (2) प्राधिकरण, आवेदक से ऐसी कोई और जानकारी या स्पष्टीकरण मांग सकता है, जिसे प्राधिकरण आवेदन पर विचार करने और उसका निपटान करने के लिए आवश्यक समझे।
- (3) प्राधिकरण आवेदन पर निर्णय लेने से पूर्व आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना का सत्यापन कर सकता है।
- (4) प्राधिकरण को, यदि यह विश्वास हो जाता है कि संस्था, प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार पात्र है, तो वह आवेदन को अनुमोदित कर सकता है और संस्था को ओवीएसई के रूप में पंजीकृत कर सकता है।
- (5) ओवीएसई के रूप में पंजीकरण हेतु किसी आवेदन के प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट नियम व शर्तें पूर्ण न करने की स्थिति में, प्राधिकरण आवेदन को अस्वीकृत कर सकता है।
- (6) आवेदन को प्राधिकरण द्वारा अस्वीकृत करने के निर्णय की सूचना, आवेदक को ऐसे निर्णय की तिथि से पंद्रह दिन के भीतर दी जाएगी, जिसमें उसके आवेदन को निरस्त करने के कारणों का उल्लेख किया जाएगा।
- (7) प्राधिकरण के निर्णय से असंतुष्ट कोई भी आवेदक ऐसी सूचना प्राप्त होने की तिथि से तीस दिन की अवधि के अंदर निर्णय पर पुनर्विचार के लिए प्राधिकरण को आवेदन कर सकता है।
- (8) आवेदक द्वारा किए गए ऐसे आवेदन पर प्राधिकरण पुनर्विचार करेगा और उस पर अपने निर्णय से आवेदक को यथाशीघ्र सूचित करेगा।
- (9) प्राधिकरण समय-समय पर पंजीकरण और ऑफलाइन सत्यापन संव्यवहार के लिए ओवीएसई द्वारा देय शुल्क और प्रभार को निर्धारित कर सकता है।“

6. मूल विनियमों में, विनियम 16ख में, उप-विनियम (2) में, शब्द “(एक्सएमएल) या एम-आधार” का लोप किया जाएगा।

7. मूल विनियमों में, विनियम 16ग में, उप-विनियम (1) में, “एम-आधार या” और “(एक्सएमएल)” का लोप किया जाएगा।

8. मूल विनियमों में, निम्नलिखित खंड 23क को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

“23क. ऑफलाइन सत्यापन चाहने वाली संस्था (ओवीएसई) द्वारा ऑफलाइन सत्यापन सुविधा का ऐक्सेस सरेंडर करना. – (1) इन विनियमों के तहत पंजीकृत कोई ओवीएसई, जो प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त ऑफलाइन सत्यापन सुविधा के ऐक्सेस को सरेंडर करने की इच्छुक है, प्राधिकरण को ऐसे सरेंडर के लिए अनुरोध कर सकती है।

(2) इन विनियमों के अंतर्गत ऐसे सरेंडर अनुरोध का निपटान करने के दौरान, प्राधिकरण ओवीएसई से यह अपेक्षा करता है कि वह सेवाओं को सुचारू रूप से बंद करने या समाप्त करने के लिए आवश्यक किसी भी मामले के बारे में प्राधिकरण को संतुष्ट करे, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं—

- (क) इन विनियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार सत्यापन लॉग और अन्य दस्तावेजों के रखरखाव और परिरक्षण के लिए ओवीएसई द्वारा की गई व्यवस्थाएं, जो इस प्रयोजनार्थ प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं;

- (ख) ऐसे अनुरोध पर संबंधित आधार नंबर धारक को सत्यापन रिकार्ड उपलब्ध कराने के लिए ओवीएसई द्वारा की गई व्यवस्था;
- (ग) शिकायत निवारण अभिलेख, यदि कोई हो; और
- (घ) प्राधिकरण के साथ खातों का निपटान, यदि कोई हो।”
9. मूल विनियमों में, विनियम 24 में, उप-विनियम (1), शब्द “या ई-केवाईसी सेवा एजेंसी (केएसए)” का लोप किया जाएगा।
10. मूल विनियमों में, विनियम 25(1क) के लिए, निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :—
- “(1क). जहां कोई ऑफलाइन सत्यापन चाहने वाली संस्था,
- (क) प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी प्रक्रिया, क्रियाविधि, मानकों, विनिर्देशनों या निर्देशों के अनुपालन में असफल होती है; अधिनियम और इन विनियमों के अधीन दायित्वों के उल्लंघन में पायी जाती है;
 - (ख) विधिपूर्ण प्रयोजनों के अन्यत्र आधार ऑफलाइन सत्यापन सुविधा का उपयोग करती है;
 - (ग) इन विनियमों के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित सूचना को उपलब्ध कराने में असफल रहती है, या
 - (घ) प्राधिकरण द्वारा कराए गए किसी निरीक्षण या जांच या पूछताछ या लेखापरीक्षा में सहयोग देने में असफल रहती है, प्राधिकरण, अधिनियम के अंतर्गत की जाने वाली अन्य कार्रवाई पर प्रभाव डाले बिना और आपराधिक कार्रवाई सहित, अधिनियम, नियमों और विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए ऑफलाइन सत्यापन चाहने वाली संस्था पर दंड अधिरोपित करने के लिए ऐसी कार्रवाई कर सकता है, जिसे प्राधिकरण उचित समझे:

बशर्ते कि कार्रवाई करने से पूर्व संस्था या एजेंसी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा।”

11. मूल विनियमों में, विनियम 25(2) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :—
- “(2) उप-विनियम (1) और (1क) में संदर्भित ऐसी कोई भी कार्रवाई किसी भी संस्था या सब-एयूए या सब-केयूए या ओवीएसई के विरुद्ध भी की जा सकती है।”
12. मूल विनियमों में, विनियम 25(3) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :—
- “(3) प्राधिकरण द्वारा नियुक्ति या पंजीकरण की समाप्ति पर, अनुरोधकर्ता संस्था या एएसए या ओवीएसई तुरंत किसी भी उद्देश्य के लिए और किसी भी रूप में आधार के नाम और लोगो का उपयोग करना बंद कर देगी और उसे बंद करने के आवश्यक पहलुओं, जिनमें विनियमन 23(2) और 23ए(2) में वर्णित पहलू भी शामिल हैं, के बारे में प्राधिकरण को भरोसा दिलाना होगा।”

चिराग पंवार, निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./534/2025-26]

टिप्पणी: मूल विनियम को दिनांक 8 नवंबर, 2021 की अधिसूचना फा. सं. के-11020/240/2021/अधि./ यूआईडीएआई (2021 की संख्या 2) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, में दिनांक 9 नवंबर, 2021 को प्रकाशित किया गया था और उसे तत्पश्चात निम्नलिखित अधिसूचनाओं के तहत संशोधित किया गया—

- (i) फा.सं. के-11020/240/2021/अधि./यूआईडीएआई (2022 का सं. 01) दिनांक 04 फरवरी, 2022;
- (ii) फा.सं. एचक्यू-13011/2/2021-अधि-II (2023 का सं. 01) दिनांक 24 फरवरी, 2023 (27 फरवरी, 2023 को प्रकाशित)

- (iii) फा.सं. एचक्यू-13073/1/2020-अधि.॥(ई) दिनांक 29 सितंबर, 2023 (03 अक्टूबर, 2023 को प्रकाशित);
और
- (iv) फा.सं. एचक्यू-13073/1/2020-अधि.॥(ई) दिनांक 31 जनवरी, 2024

**UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA
NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th December, 2025

F. No. HQ-30011/5/2025-AU-HO.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 54, of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), the Unique Identification Authority of India hereby makes the following regulations to further amend the Aadhaar (Authentication and Offline Verification) Regulations, 2021 namely: —

1. Short title and commencement. — (1) These regulations may be called the Aadhaar (Authentication and Offline Verification) Amendment Regulations, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Aadhaar (Authentication and Offline Verification) Regulations, 2021 (hereinafter referred to as the principal regulations), in regulation 2, in sub-regulation (1), —

(a) the following clause (ac) shall be inserted, namely:—

‘(ac) “Aadhaar Application” means any official mobile application or web application developed and managed by the Authority to provide an interface to Aadhaar number holders for services related to Aadhaar, including performing offline verification, and includes ‘mAadhaar App’, ‘Aadhaar App’, ‘Aadhaar QR Scanner App’, ‘myAadhaar Portal’, and such other applications as may be notified by the Authority from time to time;’

(b) the following clause (be) shall be inserted, namely:—

‘(be) “Aadhaar Verifiable Credential” means a digitally signed document issued by the Authority to the Aadhaar number holder which may contain last 4 digits of Aadhaar number, demographic data, like, name, address, gender, date of birth, and photograph of Aadhaar number holder, and such other information as may be specified by the Authority, which may be shared by Aadhaar number holder in full or part with an OVSE in the manner specified by the Authority, for verifying the demographic information or photograph of the Aadhaar number holder;’

(c) clause (la) shall be deleted.

(d) the following clause (md) shall be inserted, namely:—

‘(md) “Offline Face Verification” means a mode of offline verification in which the live facial image of an Aadhaar number holder is captured and is verified against the photograph of the Aadhaar number holder stored within the Aadhaar application of the Aadhaar number holder for the correctness, or lack thereof;’

3. In the principal regulations, for regulation 3A, the following regulation shall be substituted, namely:—

“3A. Types of Offline Verification.”—(1) There shall be following types of Offline Verification services provided by the Authority, namely—

- (i) QR Code verification,
- (ii) Aadhaar Paperless Offline e-KYC verification,
- (ii)(a) Aadhaar Verifiable Credential verification,
- (iii) e-Aadhaar verification,
- (iv) Offline Paper based verification, and
- (v) Any other type of Offline verification introduced by the Authority from time to time.

Offline Verification as above may be carried out by the entity with or without offline face verification as per the specifications given by the Authority from time to time.

(2) The Authority shall provide various means to scan QR code and download QR Code or e-Aadhaar or Aadhaar Paperless Offline e-KYC or Aadhaar Verifiable Credential through Aadhaar application or other means.”

4. In the principal regulations, the title of the Chapter III shall be substituted, namely:—

“APPOINTMENT OF REQUESTING ENTITIES AND AUTHENTICATION SERVICE AGENCIES AND REGISTRATION OF OFFLINE VERIFICATION SEEKING ENTITY”

5. In the principal regulations, the following clause 13A shall be inserted, namely:—

“13A. Registration of OVSE.— (1) An entity desirous of undertaking Aadhaar Paperless Offline e-KYC verification or Aadhaar Verifiable Credential verification through Aadhaar Application shall apply to the Authority for registration, in such form as the Authority may provide upon request made to it by such entity and on such terms and conditions as may be specified by the Authority from time to time:

Provided that such entity on being registered as OVSE shall perform offline verification only for lawful purposes.

- (2) The Authority may require the applicant to furnish further information or clarification which may be considered necessary by the Authority, to consider and dispose of the application.
- (3) The Authority may verify the information submitted by the applicant before deciding the application.
- (4) The Authority may, if it is satisfied that the entity is eligible as per the terms and conditions specified by the Authority, may approve the application and register the entity as OVSE.
- (5) In the event an application for registration as OVSE does not satisfy the terms and conditions specified by the Authority, the Authority may reject the application.
- (6) The decision of the Authority to reject the application shall be communicated to applicant within fifteen days of such decision, stating therein the grounds on which the application has been rejected.
- (7) Any applicant, aggrieved by the decision of the Authority, may apply to the Authority within a period of thirty days from the date of receipt of such information for reconsideration of the decision.
- (8) The Authority shall reconsider such application made by the applicant and communicate its decision thereon, as soon as possible.
- (9) The Authority, may from time to time, determine the fee and charges payable by an OVSE for registration and offline verification transactions.”

6. In the principal regulations, in regulation 16B, sub-regulation (2), the words “**(XML) or m-Aadhaar**” shall be deleted.

7. In the principal regulations, in regulation 16C, sub-regulation (1), the words “**m-Aadhaar or**” and “**(XML)**” shall be deleted.

8. In the principal regulations, the following clause 23A shall be inserted, namely :—

“23A. Surrender of the access to offline verification facility by OVSE.— (1) An OVSE registered under these regulations, desirous of surrendering the access to the offline verification facility granted by Authority, may make a request for such surrender to the Authority.

- (2) While disposing such surrender request under these regulations, the Authority may require the OVSE to satisfy the Authority about any matter necessary for smooth discontinuance or termination of services, including -
 - (a) the arrangements made by the OVSE for maintenance and preservation of verification logs and other documents in accordance with these regulations and procedures as may be specified by the Authority for this purpose;
 - (b) the arrangements made by the OVSE for making verification record available to the respective Aadhaar number holder on such request;
 - (c) records of redressal of grievances, if any; and
 - (d) settlement of accounts with the Authority, if any.”

9. In the principal regulations, in regulation 24, sub-regulation (1), the words “**or e-KYC Service Agency (KSA)**” shall be deleted.

10. In the principal regulations, for regulation 25(1A), the following regulation shall be substituted, namely:—

“(1A). Where any Offline Verification Seeking Entity,

- (a) fails to comply with any of the processes, procedures, standards, specifications or directions issued by the Authority, from time to time; is in breach of its obligations under the Act and these regulations;
- (b) uses the Aadhaar Offline Verification facilities for other than lawful purposes;
- (c) fails to furnish any information required by the Authority for the purpose of these regulations; or
- (d) fails to cooperate in any inspection or investigation or enquiry or audit conducted by the Authority, the Authority may, without prejudice to any other action which may be taken under the Act, including such criminal action as it may deem fit, take such steps to impose penalty on the Offline Verification Seeking Entity for contravention of the provisions of the Act, rules and regulations thereunder:

Provided that the entity or agency shall be given the opportunity of being heard before any action is taken.”

11. In the principal regulations, for regulation 25(2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(2) Any such action referred to in sub-regulation (1) and (1A) may also be taken against any entity or Sub-AUA or sub- KUA or OVSE.”

12. In the principal regulations, for regulation 25(3), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(3) Upon termination of appointment or registration by the Authority, the requesting entity or the ASA or the OVSE shall, forthwith, cease to use the Aadhaar name and logo for any purposes, and in any form, whatsoever, and may be required to satisfy the Authority of necessary aspects of closure, including those enumerated in regulation 23(2) and 23A(2).”

CHIRAG PANWAR, Director
[ADVT.-III/4/Exty./534/2025-26]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 9th November, 2021, vide Notification F. No. K-11020/ 240/ 2021/ Auth/UIDAI (No. 2 of 2021), dated the 8 th November 2021, and were subsequently amended vide Notifications—

- (i) F. No. K-11020/240/2021/Auth/UIDAI (No. 01 of 2022), dated the 4th February, 2022;
- (ii) F. No. HQ-13011/2/2021-AUTH-II (No. 01 of 2023), dated the 24th February, 2023 (published on the 27th February, 2023);
- (iii) F. No. HQ-13073/1/2020-AUTH.II(E), dated the 29th September, 2023 (published on the 3rd October, 2023); and
- (iv) F. No. HQ-13073/1/2020-AUTH.II(E), dated the 31st January, 2024.